

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/सी/व्या./196/08/847

भोपाल, दिनांक 27/7/09

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा नि नामित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलन क्रमांक 6 में अ केत संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

सं. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती तसनीम आरा खान व्या रसायन)	AM 6872	शास.ह.ईस्कूल अत्रीदेवी सुदामा नगर इन्दौर (कार्या.जि. शि.अ. इन्दौर)	शास.क.उ.मा.वि. बक्षीबाग इन्दौर	23260177705
2.	श्री एस.के.गुप्ता (व्या. भौतिक शास्त्र)	AC 8061	प्रभारी प्राचार्य शास.ह.ईस्कूल लिंगमारा जिला बालाघाट (कार्या. जि.शि.अ. बालाघाट)	शास.उ.मा.वि.महकेपार जिला बालाघाट	23450377704
3.	श्री व्ही.पी.त्रिपाठी (व्या. अंग्रेजी)	BE 4471	प्रभारी बीईओ पिछोर जिला शिवपुरा (कार्या. जि.शि.अ. शिवपुरा)	शास.उ.मा.वि.पिछोर जिला शिवपुरा	23060977701
4.	श्री एस.पी.दुबे (व्या. अंग्रेजी)	BB 1395	प्रभारी बीईओ करैरा जिला शिवपुरा (कार्या.जि.शि.अ. शिवपुरा)	शास.उ.मा.वि.भनपुरा जिला शिवपुरा	23060977704

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 27/7/09

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./196/08/848

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, विभाग म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला इन्दौर/बालाघाट/शिवपुरी।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंच तयत जिला इन्दौर/बालाघाट/शिवपुरी।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला इन्दौर/बालाघाट/शिवपुरी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर/बालाघाट/शिवपुरी। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.